HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15758/2026
CNR: RJHC020970592026 | URN: CRLMB / 29163U / 2026

Kamal Vyas S/o Shri Gopal, Aged About 41 Years, R/o Terah Brahmano Ki Dhani, Mohanpura, Tehsil Sanganer, Police Station Patrakar, District Jaipur, Rajasthan State. (At Present Accused Is Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. S.K.Jain
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP Dr. Mithlesh Kumar

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना **मुहाना जिला जयपुर दक्षिण** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **879/2021** अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 477, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस जमानत प्रार्थना–पत्र के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त एवं पविादी दोनों की पैतृक सम्पत्ति थी जिसमें उनका भिन्न–भिन्न भाग था। मृतक बद्रीनारायण ने प्रार्थी/अभियुक्त के पक्ष में दिनांक 01.04.2021 को वसीयत निष्पादित की थी जिसके आधार पर तहसीलदार ने धारा 135 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 22.07.2021 को जांच करने के उपरांत नामांतरण खोलने का आदेश दिया। उनका तर्क है कि प्रार्थी के द्वारा उक्त वसीयत फर्जकारी के द्वारा नहीं

बनाई थी बल्कि मृतक बद्रीनारायण द्वारा ही उनके पक्ष में निष्पादित की गई है। उनका तर्क है कि परिवादी जिस हक त्याग विलेख दिनांकित 22.04.2021 को अपने पक्ष में बद्रीनारायण द्वारा किया जाना बता रहा है उस समय बद्रीनारायण अस्वस्थ था और उसके बाद दिनांक 02.05.2021 को उसकी मृत्यु भी हो गई थी। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उक्त हक त्याग विलेख को अवैध घोषित करवाने हेतु घोषणा का वाद अगस्त 2021 में ही प्रस्तुत कर दिया गया था। उनका तर्क है कि पक्षकारों के मध्य के इस सिविल विवाद को आपराधिक रंग देने के लिए यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.08.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व के जो भी आपराधिक प्रकरण बताए गए हैं, वे सभी परिवादी पक्ष द्वारा ही दर्ज करवाए गए हैं। उनका तर्क है कि प्रकरण के अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने फर्जी वसीयत बनाई एवं उसके आधार पर कार्यवाही करके नामांतरण अपने पक्ष में करवा लिया एवं पंजीकृत विक्रय–पत्र से उस जमीन को अन्य व्यक्तियों को बेच दिया। वह अन्य व्यक्ति अब उसकी जमीन पर कब्जा करने को उतारू हैं। उनका तर्क है कि परिवादी के पक्ष में किया गया हक त्याग विलेख पंजीकृत होकर विश्वसनीय है। वर्ष 2021 में उनकी ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी परंतु प्रार्थी/अभियुक्त ने याचिका पेश कर इस न्यायालय की समकक्ष पीठ में उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही नहीं करने सम्बन्धी अनुतोष प्राप्त कर रखा था जो दिनांक 18.08.2025 को समाप्त हो चुका है। उनका तर्क है कि एक सिविल वाद भी निषेधाज्ञा सम्बन्धी पेश किया गया था, जो भी अदम हाजिरी में निरस्त हो गया है। उनका तर्क है कि तथाकथित वसीयत की कोई बरामदगी नहीं हुई है। गम्भीर प्रकृति का अपराध है, अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि वसीयत दिनांक 01.04.2021 को की गई थी जबकि जो अनुसंधान में उपचार के दस्तावेज एकत्रित किए गए हैं उसके अनुसार मृतक दिनांक 29.03.2021 को अस्पताल में भर्ती था एवं दिनांक 01.04.2021 को डिस्चार्ज हुआ था। वसीयत की दिनांक से पूर्व वह अस्पताल में भर्ती था। उनका तर्क है

कि प्रार्थी के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 477, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का अभियोग है। तथाकथित वसीयत के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा नामांतरण खोले जाने की कार्यवाही की गई है। पक्षकारों के मध्य जमीन सम्बन्धी सिविल विवाद होना प्रथम–दृष्ट्या दर्शित हो रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **कमल व्यास पुत्र गोपाल** की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रा. र्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

116/AJAY KUMAR SINGHAL